अति महत्वपूर्ण

संख्या– 569 / नौ–9–17–110ज / 11टी.सी

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ 23 जून, 2017

विषय– वर्षा ऋतु को देखते हुये सम्भावित बाढ़ / संक्रामक रोगों से निपटने हेतु पूर्व तैयारी एवं राहत के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ पूर्व तैयारी एवं राहत के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही हेतु एन0डी0एम0ए0, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत एडवाइजरी के सन्दर्भ में निम्न दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेः–

(1) यह सुनिश्चित करा लिया जाये कि दैवीय आपदा विशेष कर बाढ़ से सम्बन्धित क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु जहाँ–जहाँ से धनराशि माँगी गई है, वहाँ कार्य सम्पन्न हुये हैं या नहीं तथा उनकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं।

(2) अधिकारियों द्वारा बाढ़ का उच्चतम स्तर चिन्हित किया जाये।

(3) जलभराव से सम्बन्धित स्थलों को चिन्हित कर पानी निकासी हेतु आवश्यकतानुसार पम्प आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(4) नगर निकायों में बाढ़ राहत व्यवस्था हेतु 'नोडल अधिकारी' नामित किया जाये, तथा उनके नाम, मोबाइल नम्बर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जाये एवं सूचना राहत आयुक्त को भी उपलब्ध कराया जाये।

(5) बाढ़ एवं जलभराव के नियन्त्रण के लिये एक सुसज्जित कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था कराई जाये, जो 24 घण्टे कियाशील रहेगा। कन्ट्रोल रूम में 03 शिफ्टों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तैनात किया जाये एवं उनके नाम व मोबाइल नं0 भी उपलब्ध कराया जाये।

(6) जल जनित रोगों के नियन्त्रण हेतु पेयजल की नियमित क्लोरीनेशन तथा ओवर हेड टैन्क की सफाई की जाये। संक्रामक रोगों से बचने हेतु कीटनाशक दवाईयों तथा एन्टीलार्वा के छिड़काव तथा फॉगिंग की मुकम्मल व्यवस्था की जाये। मच्छर जनित रोगों की रोकथाम हेतु एक निर्धारित शेडयूल के अनुसार वार्डों में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से फॉगिंग की जाये।

(7) शहर की सफाई व्यवस्था, पेयजल, जल निकासी आदि कार्यो की नगर निकायों के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा कर ली जाये, जिसमें कमियां पाये जाने पर उनके निराकरण के लिये एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये।

(8) आपदाओं से निपटने हेतु प्रत्येक जिले में 'मॉक एक्सरसाइज' की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(9) बाढ़ आपदाओं से निपटने के लिये विज्ञापनों द्वारा 'क्या करें' और 'क्या न करें' के उपायों एवं सुझावों का प्रचार प्रसार किया जाये।

2. कृपया आगामी वर्षाऋतु को देखते हुये प्रदेश के नगर निकायों द्वारा नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–2926/नौ–7–17–27ज/2004 दिनांक 19.06.17 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है। अतः व्यक्तिगत ध्यान देते हुये उक्त निर्देशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन।
4– प्रमुख सचिव, सचिव, राजस्व/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/खाद्य एवं औषधि प्रशासन/ऊर्जा/सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण/लोक निर्माण विभाग।
5– सचिव एवं राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
6– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ)
7– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8– समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
9– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
10– कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।